

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-26/2018/129/चि0-3-18-टी0-1(102)/2017
लखनऊ : दिनांक : 12 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के डा0 राजेन्द्र सिंह, आर्थो सर्जन (वरि0क्र0-13899, लेवल-2), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मिसिरपुर, वाराणसी को जनहित में समायोजित करते हुये लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय रामनगर, वाराणसी में आर्थोपेडिक सर्जन के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 राजेन्द्र सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी नवीन तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करें।

नर्वेद सिंह
विशेष सचिव

संख्या-26/2018/129 (1)/चि0-3-18.तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय रामनगर, वाराणसी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)

अनु सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-27/2018/130/चि0-3-18-टी0-1(99)/2017
लखनऊ : दिनांक : 12 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से डा0 रेनू सान्याल, स्त्रीरोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-12138, लेवल-2), अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित करते हुये मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती के अधीन एतद्वारा तैनात किया जाता है।


2- डा0 रेनू सान्याल को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी नवीन तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करें।

नर्वेद सिंह
विशेष सचिव

संख्या- 27/2018/130 (1)/चि0-3-18.तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ/देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ/श्रावस्ती।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ/श्रावस्ती।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ ।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या- 28/2018/131/चि0-3-18-टी0-1(56)/2017टी0सी0-4

लखनऊ : दिनांक : 12 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के डा0 योगेश्वर दयाल, बालरोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-11542, लेवल-3), मा0 कांशीराम चिकित्सालय एवं ट्रामा सेन्टर, कानपुर नगर का शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-34/2017/2483/चि0-3-2017-टी0-1(54)/2017, दिनांक 16-08-2017 (क्रमांक-36) द्वारा अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल किये गये स्थानान्तरण को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत संशोधित करते हुये मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा के अधीन एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 योगेश्वर दयाल को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी नवीन तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करें।

नर्वेद सिंह
विशेष सचिव

संख्या- 28/2018/131 (1)/चि0-3-18.तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर/ मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद/आगरा मण्डल, आगरा।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल/आगरा।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मा0 कांशीराम चिकित्सालय एवं ट्रामा सेन्टर, कानपुर नगर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर/सम्भल/आगरा।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मा0 कांशीराम चिकित्सालय एवं ट्रामा सेन्टर, कानपुर नगर/मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(जे0 एल0 यादव)

अनु सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-29/2018/140/चि0-3-18-टी0-1(104)/2017
लखनऊ : दिनांक : 15 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के डा0 प्रियांक विनोद कुमार, चिकित्साधिकारी (वरि0क्र0-13923, लेवल-2), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपरौली, गोरखपुर को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरित करते हुये मुख्य चिकित्साधिकारी, रमाबाईनगर (कानपुर देहात) के अधीन एतद्वारा तैनात किया जाता है।


2- डा0 प्रियांक विनोद कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी नवीन तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करें।

नर्वेद सिंह
विशेष सचिव

संख्या-29/2018/140 (1)/चि0-3-18.तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर/कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर/रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर/रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर।
7. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
8. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साईट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।